न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल आर एक्ट संख्या 67/2022/टोंक

उदयलाल पुत्र स्व0 श्री मन्ना, जाति अहीर निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा दिनांक 27.06.2018 अन्तर्गत अपील संख्या 03/2018 पारित किया गया।

उपस्थित अभि0ः— श्री डूंगरसिंह राठौड़(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय   दिनांकः—25.05.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम महापुरा तहसील बिजौलिया की आराजी नम्बर 96 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नम्बर 101 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बिघा 13 बिस्वा भूमि में विक्रेता खातेदार जगन्नाथ, रतना, राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल जाति कलावत के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होकर उनका हिस्सा आधा दर्ज चला आ रहा था।

दिनांक 21.09.2000 को अपीलांट द्वारा इनसे इनका पुरा आधा हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 21.09.2000 को क्रय कर लिया गया।

इस बाबत नामातंरण संख्या 158 दिनांक 29.11.2001 को तहसीलदार बिजौलिया द्वारा स्वीकृत किया गया। मगर त्रुटिवश नामातंरण खोलते समय विक्रेतागण के 1/2 हिस्से को अपीलांट के पक्ष में 1/2 दर्ज ना करके 4/10 दर्ज कर दिया एवं शेष 1/10 हिस्सा विक्रेतागण जगन्नाथ, रतना, राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल कलावत के नाम दर्ज कर लिया गया। जो गलत है। क्योंकि विक्रेतागण द्वारा आधा हिस्सा विक्रय करने के बाद उनके खाते में कोई भूमि शेष नहीं रहती है। राजस्व रिकोर्ड में शुद्धि करते हुए अपीलांट का हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया। उक्त नामातंरण से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 03/2018 से अपील की गई थी जो [illegible] निर्णय दिनांक 27.06.2018 से खारिज कर दी गई तथा तहसीलदार बिजौलिया द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 158 दिनांक 29.11.2001 को यथावत रखा जिससे व्यथित होकर निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत की गई—

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested

1. विक्रेतागण का भाई मथुरा पुत्र भंवरलाल कलावत विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2000 से 2 वर्ष पूर्व ना औलाद फौत हो चुका था। अतः उसका हिस्सा शेष भाइयों को जाना चाहिए था। नामातंरण संख्या 147 दिनांक 05.02.2001 मथुरा की मृत्यु के बाद स्वीकृत किया गया। जिसकी वजह से यही माना जायेगा कि उसका हिस्सा अन्य भाईयों के नाम निहित हो चुका था तथा मुझ क्रेता का हिस्सा 7/10 की जगह 1/2 होना चाहिए था।

2. अपील संख्या 03/2018 न्यायालय जिला कलक्टर में प्रस्तुत की गई थी। मगर दिनांक 27.06.2018 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपील खारिज कर दी गई। उक्त अपील गलत तरीके से खारिज की गई है। जिसमें जिला कलक्टर द्वारा अपीलांट का हिस्सा 4/10 ही माना है।

अतः नामातंरण संख्या 158 दिनांक 29.11.2001 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 27.06.2018 को निरस्त करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2000 के आधार पर खसरा नम्बर 96,101 में अपीलांट का हिस्सा 1/2 किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही अपील के साथ प्रमाणित प्रति नामातंरण संख्या 158 ग्राम माहुपुरा तहसील बिजौलिया फोटोप्रति रजिस्टर्ड पत्र अपीलार्थी के पक्ष में निस्पादित दिनांक 21.09.2000 प्रमाणित प्रति जमाबंदी ग्राम माहुपुरा संवत 2057–60 प्रमाणित प्रति वर्तमान जमाबंदी ग्राम माहुपुरा संवत 2073–76 प्रस्तुत किये।

अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड को तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष वकील सुनी गई।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि बाबत विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 का हैं तथा न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 04.09.2018 को प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपील अंदर मियाद प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 27.06.2018 के विरूद्ध उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। विक्रेतागण का 1/2 हिस्सा था। हमारे द्वारा दिनांक 21.09.2000 को उनका पुरा हिस्सा क्रय किया था। इसके बाद नामातंरण संख्या 158 दिनांक 29.11.2001 तहसीलदार द्वारा खोला गया था। हमारा हिस्सा 1/2 की जगह 4/10 अंकित कर दिया गया। जबकि विक्रय पत्र 21.09.2000 से पूर्व विक्रेतागण के भाई मथुरा पुत्र भंवरलाल नाऔलाद फौत हो चुका था। जिस हेतु नामातंरण संख्या 147 दिनांक 05.02.2001 स्वीकृत किया गया था। अतः हमारी हिस्सा 4/10 की जगह 1/2 किया जायें। क्योंकि विक्रेता का भाई मथुरा क्रय दिनांक से वर्ष पूर्व फौत हो चुका था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अभि0 ने कथन किये कि जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 27.06.2018 विधिवत रूप से जारी किया हुआ हैं। तहसीलदार के समक्ष अपीलांट द्वारा रजिस्ट्री पेश नहीं की थी। अब अपील में पेश कर रहे हैं अपील खारिज की जायें।

विवाद का मुख्य विषय यह है कि क्रेता द्वारा किन व्यक्तियों से कितनी भूमि क्रय की है। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्ट्री का अवलोकन किया गया। प्रथम पक्ष विक्रेतागण के नाम इस प्रकार है –जगन्नाथ, रतना, राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल जाति कलावत तथा क्रेता पक्ष में उदयलाल पिता मन्ना जाति अहीर अंकित किया हुआ है। उदयलाल वर्तमान अपीलांट है। विक्रेतागण द्वारा खसरा नम्बर 96 रकबा 2 बीघा , खसरा नम्बर 101 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जिसमें विक्रेतागण का आधा हिस्सा दर्ज होना बताया है। वह पुरा हिस्सा क्रेता उदयलाल को दिनांक 21.09. 2000 को विक्रय करना पाया जाता है। स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व रिकोर्ड में विक्रेतागण के नाम दर्ज भूमि ही उनका पुरा हिस्सा क्रय किया गया है। अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार से मथुरा का कोई हिस्सा क्रय नहीं किया गया। अतः न्यायालय का यह मानना है कि नामातंरण संख्या 158 दिनांक 29.11.2001 तहसीलदार बिजौलिया द्वारा सही रूप से खोला गया है।

अपीलांट द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मथुरा पुत्र भंवरलाल की मृत्यु कब हुई है। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट अपील संख्या 03/2018 में दिनांक 22.02.2018 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा को भेजी गई थी। जो पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अनुसार नामातंरण संख्या 158 खोलते वक्त जमाबंदी संवत 2057–60 में खातेदार जगन्नाथ मथुरा राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल कलावत हिस्सा आधा दर्ज था एवं खातेदार मथुरा के फौत हो जाने से मथुरा की जगह विरासत से नामातंरण संख्या 147 दिनांक 08.01.2001 को तत्कालीन पटवारी द्वारा दर्ज किया गया। जो दिनांक 05.02.2001 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत हुआ। चूंकि मथुरा का 1/10 हिस्सा उक्त विक्रेता खातेदारों के नाम दिनांक 05.02.2000 पर दर्ज हुआ है। जबकि इन्होनें रजिस्ट्री दिनांक 21.09.2000 को ही करवा ली थी। उस समय मथुरा का 1/10 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज था जो विक्रय नहीं हुआ है। विक्रेता खातेदारों का हिस्सा जमाबंदी में दिनांक 21.09.2000 को 4/10 होने के बावजूद भी उन्होने ने अपना हिस्सा विक्रय पत्र में 1/2 अंकित कर विक्रय पत्र में रजिस्टर्ड करवाया जो गलत है। जमाबंदी में दर्ज विक्रेता खातेदार के अनुसार ही नामातंरण संख्या 158 दर्ज होकर स्वीकृत करवाया है। न्यायालय तहसीलदार द्वारा बताये तथ्यों को उचित मानता है।

जहां तक नामातंरण संख्या 147 दिनांक 05.02.2001 की बात है उक्त नामातंरण के द्वारा मथुरा पुत्र भंवरलाल की विरासत को [illegible] गया। वह सही रूप से उसके नाऔलाद फौत होने से उसके [illegible] के नाम [illegible] की गई है। क्योंकि क्रेता द्वारा दिनांक 21.09.2000 को भूमि क्रय की गई थी [illegible] रिकोर्ड में दर्ज खातेदारों से उसके द्वारा उनका हिस्सा क्रय किया था। [illegible] वह किस आधार पर मथुरा के हिस्से को मांगता है अपीलांट अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाया है। अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा वादग्रस्त भूमियों में 4/10 ही बनता है। नामातंरण संख्या 158 दिनांक 31.11.2001 तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 27.06.2018 विधि के अनुसार है। उनमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं। अपील अपीलांट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 27.06.2018 प्रकरण संख्या 03/2018 ग्राम महुपुरा खसरा नम्बर 96,101 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 27.06.2018 प्रकरण संख्या 03/2018 ग्राम महुपुरा खसरा नम्बर 96,101 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested